



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net, E-mail: bsgmadhypradesh@gmail.com Phone: 2661263, Fax: 2737446

**ए०एस०ओ०सी० / डी०ओ०सी० वार्षिक समीक्षा बैठक दिनांक 22 व 23 अगस्त 2014
(संभाग-ग्वालियर, मुरैना)**

कार्यवाही विवरण

ए०एस०ओ०सी० / डी०ओ०सी० समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रातः

10 बजे से किया गया जिसमें निम्न संगठन अधिकारी उपस्थित रहे—

1	श्रीमती अनीता अंकुलनेरकर	राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल
2	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल
3	श्री रामनरेश तिवारी	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल
4	श्रीमती उषा यादव	सहा० राज्य संगठन आयुक्त (गा०) संभा०कार्या० ग्वालियर
5	श्री वीरसिंह यादव	प्र०सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का०)संभा०कार्या० मुरैना
6	श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप	जिला संगठन आयुक्त (गा०)जिला अशोकनगर
7	श्री शंकरसिंह इकट्टोरिया	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला ग्वालियर
8	श्री मुकेश कुशवाह	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला शिवपुरी
9	श्री ओमप्रकाश सिकरवार	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला श्योपुर
10	श्री अतिबल सिंह	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला भिण्ड
11	श्रीमती श्रद्धासिंह	डी०ओ०सी० (गाइड) जिला दतिया
12	श्री भीमसेन लहरी	कम्प्युटर ऑपरेटर संभागीय कार्यालय मुरैना
13	श्री मूलचन्द्र गौड़	जिला सचिव मुरैना

बैठक का प्रारंभ ईश-प्रार्थना के साथ किया गया तत्पश्चात् एस०ओ०सी० (गाइड) द्वारा सभी का स्वागत कर बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी, बैठक में मुरैना जिले के जिला सचिव को छोड़कर गुना से मानसेवी डी.ओ.सी./ सचिव/डी.टी.सी. सम्मिलित नहीं हुये। बैठक में ऐजेण्डा अनुसार निम्न विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई व निर्णय लिये गये —

1—युवा कार्यक्रम :—

1 गत बैठक का संभागवार पालन प्रतिवेदन—

अ— दोनों संभाग द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्णय—सभी ने दिनांक 30 अगस्त 2014 तक पालन प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया।

2 20 दलों की प्रस्तुतीकरण —

1 दोनों संभाग द्वारा 20 दलों की अपडेट सूची प्रस्तुत नहीं की। मार्च 2014 के दलों की यथावत स्थिति प्रस्तुत की गई जिस पर एस०ओ०सी० स्काउट/गाइड द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया।

निर्णय—सभी ने 20 अगस्त 2014 तक अपडेट सूची मय युवा व वयस्क एडवांसमेन्ट विवरण सहित सोफ्टकापी भेजने का निर्णय लिया गया।

3 दल गठन अभियान —

दल गठन अभियान अन्तर्गत प्रथम चरण जिसमें जिले में शास०/अशास० हाईस्कूल एवं उमाऊवी० की संख्यात्मक जानकारी बताई गई। माहवार दल गठन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्णय—30 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र की पूर्तिकर भेजने हेतु निर्णय लिया गया।

4 माह अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक के कार्यक्रमों की जानकारी :—

अ— माह अप्रैल से जुलाई 2014 तक आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दोनों संभाग से प्रेषित किये गये।

जिला स्तरीय कार्यक्रम –जिला दतिया, गुना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी से जानकारी अप्राप्त है। ए०एस०ओ०सी० से विवरण पूर्ति हेतु कहा गया किन्तु जिन जिलों में प्रभारी नहीं है उन जिलों की जानकारी का अभाव रहा।

- ब– आयोजित कार्यक्रमों के विस्तृत प्रतिवेदन सभी संभाग/जिलों से समय सीमा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

निर्णय—सभी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिलेवार जानकारी अनुसार प्रतिवेदन 30 अगस्त 2014 तक भेजने हेतु आश्वासन दिया गया।

स– राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता –

अप्रैल से जुलाई 2014 तक राज्य स्तर पर 6 कार्यक्रम आयोजित हुये जिसमें सभी ने एक–दो कार्यक्रम में प्रतिभागिता की एवं जिला श्योपुर, भिण्ड, दतिया से निरंक प्रतिभागिता रही। ऐडवेंचर केम्प, हाईक, ट्रेकिंग में दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, भिण्ड, श्योपुर, मुरैना एवं प्रधानमंत्री कार्यशाला में दोनों संभाग की प्रतिभागिता निरंक है। जो संबंधित ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० के प्रति घोर उदासीनता प्रकट करती है जिसके लिये एस०ओ०सी०स्काउट द्वारा खेद व्यक्त किया एवं भविष्य में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

5 युवा प्रगति प्रशिक्षण पर चर्चा –

- अ– एस०ओ०सी० स्काउट द्वारा विगत दो वर्षों के जिलेवार कब–बुलबुल, स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर की प्रगति प्रशिक्षण की स्थिति एवं माह अप्रैल से जुलाई 2014 तक आयोजित जांच शिविरों में जिलेवार प्रतिभागिता प्रस्तुत की गई।
- ब– गत वर्ष द्वितीयचरण–रजतपंख जांच शिविर जिला दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में नहीं हुये हैं वहाँ भी विशेष प्रयास की आवश्यकता है। संभाग मुरैना एवं दतिया जिले में प्रवीण रोवर–रेंजर जांच शिविर एवं जिलों में प्रवीण रोवर–रेंजर का प्रशिक्षण शिविर नहीं किये जा रहे हैं जों खेद का विषय है। गुना जिले से शुल्क अप्राप्त है।
- स– निपुण रोवर–रेंजर जांच शिविर में दोनों संभागों की प्रतिभागिता निरंक रहीं। राज्य पुरस्कार स्काउट–गाइड जांच शिविर में जिला गुना, अशोकनगर, श्योपुर से प्रतिभागिता नहीं हुई।
- निर्णय– एससीएन जारी करें कारण पूछे।

6 माह अगस्त 2014 से नवम्बर 2014 तक कार्ययोजना –

एस०ओ०सी० (स्काउट/गाइड) द्वारा माह अगस्त से नवम्बर तक कार्यक्रम व योजना के अनुसार कार्यों की प्राथमिकताओं की प्रस्तुती दी। तदानुसार सभी ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० से माह अगस्त से नवम्बर 2014 तक की प्रस्तावित कार्ययोजना तैयार करायी गई।

निर्णय :- युवा कार्यक्रम अन्तर्गत बिन्दु क्र० 1 से 6 तक मे जिन जिला, संभाग, राज्य स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता/आयोजितनहीं हुये हैं संबंधित संभाग के ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० को एस.सी.एन. जारी करे।

निर्देश :-1 सभी जिलों के शेष रहें कार्यक्रमों का प्रतिवेदन, सूची एवं प्रस्तावित कार्ययोजना 20 अगस्त 2014 तक प्रेषित करें।

2 संभाग स्तर पर प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता के प्रतिभागी दलों की बैठक अगस्त तक आयोजित की जावे।

3 30 अगस्त 2014 तक प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता की लॉगबुक, आदर्श दल लॉगबुक, स्टेट चीफ कमिश्नर शील्ड प्रतियोगिता लॉगबुक, लक्ष्मीमजूमदार लॉगबुक राज्य मुख्यालय भोपाल में प्रेषित करें।

4 द्वितीय सोपान/द्वितीयचरण–रजतपंख जांच शिविर जिले में होगा एवं पर्यवेक्षक ए०एस०ओ०सी० रहेंगे एवं पूर्ण रिकार्ड की जांच कर संतुष्ट होंगे। एतद् विषय में प्रमाण–पत्र प्रमाणित करें।

5 तृतीय सोपान/तृतीयचरण–स्वर्णपंख जांच शिविर संभाग स्तर पर होंगे व राज्य मुख्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त किये जावेंगे। जो शिविर संतोषप्रद रहा एतद् विषयक टीप प्रस्तुत करेंगे।

- 6 सभी स्काउट-गाइड के पास प्रत्येक स्तर के प्रमाण-पत्र व जांच पत्र में पूर्ति आवश्यक है ताकि उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व जांच में प्रस्तुत कर सके ।
- 7 माह अगस्त, सितम्बर 2014 में द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान जांच पूर्ण करावे ताकि आगे का एडवांसमेन्ट आपेक्षित समय में पूर्ण हो सके ।
- 8 निपुण रोवर-रेंजर जांच शिविर नवम्बर 2014 में एक और आयोजित हो ताकि शेष रहे रोवर-रेंजर समिलित हो सके ।
- 9 जिला दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, भिण्ड, श्योपुर में विगत 2 वर्षों से गुणात्मक स्थिति शुन्य है वहाँ विशेष प्रयास करें व कार्यक्रमों में प्रतिभागिता करावें ।
- 10 प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सभी कार्यक्रम पूर्ण होना आवश्यक है ।
- 11 राज्य स्तर के कार्यक्रमों में सभी जिलों की प्रतिभागिता अनिवार्यतः पूर्ण करावें ।
- 12 प्रत्येक माह की 15 तारीख को उपस्थिति एवं 25 तारीख तक मासिक कार्य प्रतिवेदन, अनिवार्यतः प्रेषित करें ।
- 13 बिन्दु 9 में उल्लेखित जिले के डी०ओ०सी० को एस.सी.एन. दे साथ ही ए०ए०स०ओ०सी० को भी दे ।

कार्यवाही एस०ओ०सी० / ए०ए०स०ओ०सी० / डी०ओ०सी० (स्काउट / गाइड)

2— वयस्क प्रशिक्षण (स्काउट / गाइड) :-

1 वयस्क प्रगतिशील प्रशिक्षण —

विगत दो वर्षों की जिलेवार बेसिक व एडवांस प्रशिक्षण शिविर की प्रतिभागिता प्रस्तुत की गई । साथ ही स्काउट विभाग में सामान्य सूचना शिविर प्रशिक्षण प्राप्त स्काउटर को बेसिक स्तर दोनों विभाग, बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त स्काउटर/गाइडर को एडवास स्तर तक लाने की स्थिति प्रस्तुत की गई ।

दतिया जिला द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गयी है जो चिन्तनीय है ।

2 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभागिता —

राज्य स्तर पर जिला दतिया से मात्र एक-एक प्रतिभागिता रही ।

अ— हस्तकला/अभिरुचि शिविर में ग्वालियर, मुरैना संभाग से निरंक, ग्वालियर जिले से मात्र एक की प्रतिभागिता रही । ।

ब— डी०ओ०सी० / डी०टी०सी० / सचिव संगोष्ठी में जिला दतिया, अशोकनगर, भिण्ड, श्योपुर से प्रतिभागिता निरंक रहीं ।

स— प्राचार्य संगोष्ठी में जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड से प्रतिभागिता निरंक रही, इस संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण का उत्तर भी अप्राप्त है।

द— कमिशनर कान्फ्रेन्स में जिला शिवपुरी, गुना, भिण्ड, श्योपुर से प्रतिभागिता निरंक रही ।

3 सामान्य सूचना शिविर —

दतिया जिला में सामान्य सूचना शिविर आयोजित नहीं किये गये हैं । शेष जिलों से आयोजित शिविरों का प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

4 **वयस्क प्रशिक्षण (गाइड) में दिनॉक 30 जुलाई 2014 तक संभाग से आपेक्षित प्रतिभागियों की सूची प्राप्त होनी थी । किसी भी संभाग से समय पर सूची प्राप्त नहीं हुई है । पूर्व बैठक में चर्चानुसार 20 से 26 अगस्त 2014 तक गांधीनगर भोपाल में प्रत्येक सभाग से रेंजर लीडर, गाइड केप्टिन, फ्लाक लीडर की प्रतिभागिता पूर्ण करायी जानी थी जो नहीं हुई ।**

निर्णय :-1 वयस्क अन्तर्गत बिन्दु क्र0 1 से 4 तक मे जिन जिला, संभाग, राज्य स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता/आयोजितनही हुये है संबंधित संभाग के ए०ए०स०ओ०सी० / डी०ओ०सी० को एस.सी.एन. जारी करे ।

2 ऐसे जिले जहाँ से विगत वर्षों में प्रतिभागिता नहीं है उन जिलों के कलेक्टर, डी०ई०ओ० को पत्र लिखा जावे

नोट :- सभी शाखाओं की जानकारी लेकर डी०ई०ओ०, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखे ।

निर्णय व निर्देश :-

- 1 सामान्य सूचना शिविर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर समय सीमा में करावे । जिसके संचालक एल.टी./ए०एल०टी० स्काउट विभाग होंगे । शिविर के प्रतिवेदन 30 अगस्त 2014 तक अनिवार्यतः प्रेषित करें ।
- 2 बेसिक कोर्स में प्रत्येक जिले की जिलेवार शतप्रतिशत प्रतिभागिता अनिवार्यतः सुनिश्चित करें ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो सके ।
- 3 शिविरों में संचालक मण्डल की पूर्व से उपस्थिति सुनिश्चित करें ।
- 4 प्रशिक्षित स्काउटर-गाइडर के दलों की विजिट कर उन्हें वारंट व चार्टर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
- 5 ऐसे जिले जहाँ से विगत वर्षों में प्रतिभागिता नहीं है उन जिलों पर विशेष जोर देकर प्रतिभागिता पूर्ण करावे । जिनमें दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, भिण्ड हैं ।

कार्यवाही एस०टी०सी०/ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० (स्काउट/गाइड)

3— भंडार :-

- सभी ए.एस.ओ.सी. व डी.ओ.सी. की भंडार शाखा मे स्टीकर, केलेण्डर व डायरी के विगत 03 वर्षों की राशि का प्रस्तुतिकरण किया गया ।
- 1 डायरी, केलेण्डर की राशि मे श्री मुकेश कुशवाह द्वारा 2675+6072 रूपये जमा की गई, जो जमा अंकित नहीं है ।
 - 2 डी०ओ०सी० मुरैना द्वारा 10,000/- व श्योपुर द्वारा 15,000/- अशोकनगर द्वारा 10,000/- भिण्ड द्वारा 104/- रूपये जमा किया ।
 - 4 डी.ओ.सी. गाइड अशोकनगर का हिसाब ठीक नहीं है ।

निर्देश :-

- 1 सभी ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. पूर्व जारी निर्देशानुसार प्रतिमाह भंडार की राशि न्युनतम राशि खाते मे रखकर शेष राशि जमा करेंगे ।
- 2 सभी यदि ई-बैंकिंग से खाते मे राशि जमा करते हैं, तो ई-मेल या मोबाईल पर तत्काल भंडार कक्ष को सूचित करें, ताकि राशि समायोजन हो सकें ।
- 3 संभाग जिले के शिविरों मे मोबाईल शाप का संचालन करें ।
- 4 मासिक प्रतिवेदन के साथ विक्रय सामग्री की जानकारी भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ।
- 5 स्टीकर की राशि 30 नवंबर 14 तक अनिवार्यतः प्रेषित करने की व्यवस्था करें ।
- 6 विभिन्न प्रमाण पत्रों व रजिस्टर की मॉग 03 माह पूर्व अनिवार्यतः प्रेषित करें ।

कार्यवाही साज-सज्जा कक्ष/ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० (स्काउट/गाइड)

4— पत्रिका :-

- 1 बालचर रवि पत्रिका की वार्षिक व साधारण सदस्यता की जिलेवार जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसमे किसी भी जिले द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गई है ।
- 2 माह अगस्त 13 मे निम्न माध्यम से विज्ञापन प्राप्त हुये थे, जिसकी राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है :—
अ श्री अतिबल सिंह डी०ओ०सी०भिण्ड — 7,000/-
ब श्री ओ०पी०सिकरवार डी.ओ.सी. भिण्ड — 2,000/-
दोनों के द्वारा 30 अगस्त 14 तक राशि जमा करने का कहा गया है, ।

निर्देश :-

- 1 स्काउटर/गाइडर बैठक, संस्था प्रधान बैठक व शिविरों मे पत्रिका सदस्यता बनाकर 30 अगस्त 14 तक राशि मय पूर्ण पते के साथ प्रेषित करें ।
- 2 प्रतिमाह एक हजार रूपये तक विज्ञापन मय राशि के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- 3 सभी जिले से समाचार व फोटो प्रेषित करें ।

कार्यवाही पत्रिका कक्ष/ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० (स्काउट/गाइड)

5— दल पंजीयन :—

दल पंजीयन मे संशोधित लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण किया, साथ ही 03 वर्षो की लंबित शेष राशि की जानकारी दी गई, जिन जिलो की 2013–14 मे राशि प्राप्त नही है, उनमें अशोकनगर, से 23700/-, ग्वालियर से 85,000/-, दतिया से 30,000/-, मुरैना से 30,000/-, श्योपुर से 33,000/- जमा है, जो अंकित नही है ।

निर्देश :—

- 1 सभी जिलो से दल पंजीयन राशि मय गणना व सूची के इस माह तक प्रेषित करें।
- 2 सत्र 2014–15 की राशि मय सूची के माह अक्टूबर 14 तक अनिवार्यतः प्रेषित करें।

कार्यवाही पंजीयन कक्ष/ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० (स्काउट / गाइड)

6— लेखा शाखा :—

लेखा शाखा मे प्रायः संभाग व जिलो द्वारा अपेक्षित जानकारी आय—व्यय पत्रक, प्रतिवेदन, यात्रा बिल निर्धारित व आवश्यक प्रतिपूर्ति के प्रेषित नही किये जा रहे है। अतः निम्न निर्देश दिये गये :—

निर्देश :—

- 1 संभागीय कार्यालय मासिक आय—व्यय पत्रक पूर्ण विवरण के साथ प्रति माह 05 तारीख तक प्रस्तुत करें।
- 2 शिविर प्रतिवेदन निर्धारित व आवश्यक प्रतिपूर्ति के साथ 15 दिवस मे राज्य मुख्यालय मे प्राप्त हो जाने चाहिये एवं हिसाब का समायोजन करावे।
- 3 अंकेक्षण की कंडिका निराकरण अनिवार्यतः करावें।
- 4 सभी संभाग अपने जिले के स्कूल का आडिट जल्द करावे।

कार्यवाही लेखा कक्ष/ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० (स्काउट / गाइड)

7— निर्वाचन :—

श्योपुर जिला द्वारा विगत वर्षो से निरंतर पत्राचार पश्चात भी निर्वाचन नही कराये जा रहे है, इसी प्रकार ब्लाक संघ तदर्थ समिति गठन भी निरंतर निर्देश दिये जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है।

निर्देश :—

- 1 सभी जिलो मे समय सीमा मे निर्वाचन करावें।
- 2 ब्लाक संघ हेतु तदर्थ समिति का गठन माह सितंबर 14 तक पूर्ण कराकर राज्य मुख्यालय को अवगत करावें।
- 3 जिलो के निर्वाचन पश्चात संबंधित के वारंट की कार्यवाही पूर्ण करें, ताकि कमिशनर्स प्रशिक्षण मे संबंधित को भेजा जा सकें।

कार्यवाही निर्वाचन कक्ष/ए०एस०ओ०सी०/डी०ओ०सी० (स्काउट / गाइड)

8— वारंट व चार्टर :—

जिलेवार वारंट की स्थिति से अवगत कराया गया एवं संभाग द्वारा सभी जिलों को चार्टर जारी किये गये ।

निर्देश :—

- 1 पंजीयन राशि के साथ प्राप्त सूची अनुसार 01 माह मे चार्टर जारी करें एवं सूची राज्य मुख्यालय भोपाल को भी सापट कॉफी ई—मेल द्वारा प्रेषित करें एवं रिकार्ड संधारित करें।
- 2 रिकार्ड अनुसार पुराने दलों के चार्टर का नवीनीकरण करें।
- 3 वारंट फार्म पूर्णतः चैक करके अग्रेषित करें एवं समय पर वारंट उपलब्ध करावे, ताकि युवा व वयस्क प्रगति प्रशिक्षण पूर्ण हो सकें।
- 4 वारंट व पंजीयन फार्म पर जिला कमिशनर स्काउट / गाइड के हस्ताक्षर अनिवार्यतः करावें।

9— ग्रेडिंग :—

गत वर्ष की ग्रेडिंग के साथ 03 वर्षों की तुलनात्मक स्थिति से जिले को अवगत कराया गया, साथ ही 06 माही ग्रेडिंग के विषय भी बताये गये। शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, श्योपुर की स्थिति खराब है।

निर्देश :—

- 1 समय पर माह सितंबर 14 तक के कार्य संपन्न करावे एवं प्रतिवेदन प्रेषित करें।
- 2 30 सितंबर 14 तक प्राप्त प्रतिवेदन ही ग्रेडिंग मे सम्मिलित किये जावेंगे।
- 3 सभी जिलों के प्रतिवेदन प्रेषण का दायित्व डी.ओ.सी. का एवं जहाँ डी.ओ.सी. नहीं है, वहाँ पर ए.एस.ओ.सी. का रहेगा।

10— राष्ट्रीय जम्बूरी जयपुर :—

जम्बूरी जयपुर की परिवर्तित तिथि दिनांक 03 से 09 जनवरी 2015 से अवगत करावे, साथ ही गत बैठक व पत्रों मे दिये निर्देशानुसार जम्बूरी हेतु चयन करके पंजीयन राशि राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें।

निर्देश :—

- 1 दिनांक 30 अगस्त 14 तक जम्बूरी हेतु चयनित सूची के साथ जम्बूरी शुल्क प्रेषित करें एवं प्रतिक्षा सूची भी तैयार रखें।
- 2 निर्धारित कोटा के अतिरिक्त स्काउटर/गाइडर, रोवर/रेंजर सम्मिलित नहीं होंगे।
- 3 चयनित प्रतिभागियों को तृतीय सोपान/शिविर कला का अभ्यास करावे, ताकि जम्बूरी मे प्रत्येक टोली का उत्तम प्रदर्शन हो सकें।
- 4 जम्बूरी पूर्व प्रतिभागियों की 02 जोड़ी नवीन युनिफार्म मय बैज आदि के साथ शिविर कला व प्रतियोगिता प्रदर्शनी आदि की पूर्ण सामग्री की तैयारी कराकर, इस कार्यालय को 30 सितंबर 14 तक अवगत करावें।
- 5 विशेष कार्यक्रम जैसे लोकनृत्य, बैण्ड, स्किल ओ रामा, आदि के लिये अतिरिक्त कोटा दिया जा सकता है, किन्तु इसके पूर्व दल का चयन हेतु प्रदर्शन आवश्यक है, मानक स्तर पर होने पर ही अतिरिक्त कोटा प्रदाय किया जावेगा।
- 6 अतिरिक्त कोटा के प्रतिभागियों को भी स्का०/गा० की पात्रता व प्रशिक्षण समय सीमा मे पूर्ण कराना है, ताकि वे भी शिविर कला व अन्य कार्यक्रमों मे भाग ले सकें।

बैठक समाप्ति पूर्व सदस्यों द्वारा निम्न समस्याएं रखी गई :—

ग्वालियर संभाग—

- 1 श्रीमती उषा यादव द्वारा स्थानान्तरण की मॉग की है।
- 2 श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप एवं श्रीमती श्रद्धासिंह विगत 02 माह का वेतन लंबित है।
- 3 ग्वालियर कार्यालय भवन अत्यंत क्षतिग्रस्त है, कार्य करने में कठिनाई हो रही है।
- 4 नयागांव प्रशिक्षण केन्द्र पर वार्डन की आवश्यकता है।

मुरैना संभाग :—

- 1 मुरैना जिला में डी०ओ०सी० की आवश्यकता है जिसके लिये श्री भीमसेन लहरी को दायित्व दिये जाने एवं कार्यालय सहायक के पद पर श्री नरेन्द्र निष्पल को दायित्व दिये जाने हेतु ए०एस०ओ०सी० मुरैना द्वारा निवेदन किया है।

श्री प्रकाश दिसोरिया एस.ओ.सी. (स्का०) द्वारा उक्त समस्याएं राज्य सचिव महोदय के समक्ष रखने एवं समाधान कार्यवाही हेतु कहा गया, साथ ही निर्देश दिये कि निर्धारित कार्यक्रमों मे आपके द्वारा जो समय सीमा व प्रतिभागिता का आश्वासन दिया है, उसे हर संभव पूर्ण करें।

अंत मे श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर एस.ओ.सी. (गा०) द्वारा लक्ष्य पूर्ति की अपेक्षा के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया व बैठक सआनंद संपन्न हुई।



राज्य सचिव

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-

1. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. राज्य संगठन/ प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) संभाग/जिला मुख्यालय (म०प्र०) की ओर भेजकर निर्देश है कि उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार आवश्यक जानकारी/पालन प्रतिवेदन भेजे ।
5. समस्त शाखा प्रभारी राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कक्ष से संबंधित बिन्दु का पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें एवं जिस संभाग/जिले की प्रतिभागिता नहीं हुई है या कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं अथवा जानकारी/राशि अप्राप्त है उन संभाग/जिले के ए०ए०स०ओ०सी०/ डी०ओ०सी० कों एस.सी.एन. पत्र जारी करें तथा उस जिले के डी०ई०ओ०, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भी पत्र लिखा जावे ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश